संख्या-15/2024/001-2649990(1)/12-2099/220/2023

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एस0एफ0-1763-टी/नान प्लान/पुनर्विनियोग-180/2023-24, दिनॉक 15 दिसम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या-एस0एफ0-1947-टी/नान प्लान/पुनर्विनियोग-180/2023-24, दिनॉक 15 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-11-वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबन्धन योजनान्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 1507.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत से रू0 500.00 लाख, लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 75370.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत से रू0 659.21 लाख एवं 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-03-बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 2152.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत से रू0 1000.50 लाख व मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 2794.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत से रू0 1501.69 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 3661.40 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 02-मजदूरी में रू0 800.00 लाख, 09-विद्युत देय में रू0 61.45 लाख व मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 2799.95 लाख अर्थात कुल रूपये 3661.40 लाख (छत्तीस करोड़ इक्सठ लाख चालीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आनके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक,उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय**

लेखाशीर्ष: 2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	011	**2401001030300** प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	02 मजदूरी	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
2	011	**2401001030300** प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	09 विद्युत देय	61,45,000 (रुपये इकसठ लाख पैतालीस हजार मात्र)
3	011	**2401001030300** प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	27,99,95,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ निन्यानवे लाख पंचानबे हजार मात्र)
		कुल		**36,61,40,000 (रुपये छत्तीस करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र)**

महायोग	36,61,40,000 (रुपये छत्तीस करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-15/2024/001-2649990(2)/12-2099/220/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2649990-12-2099-220-2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001091100 (वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबन्धन)	42 (अन्य व्यय)	15,07,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ सात लाख मात्र	15,07,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ सात लाख मात्र	-5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	10,07,00,000	2023-2024
011	2401001108902 (नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम)	27 (सब्सिडी)	7,53,70,00,000 रुपये सात अरब तिरपन करोड़ सत्तर लाख मात्र	5,07,79,00,000 रुपये पांच अरब सात करोड़ उनासी लाख मात्र	-6,59,21,000 रुपये छह करोड़ उनसठ लाख इक्कीस हजार मात्र	7,47,10,79,000	2023-2024
011	2402001030300 (बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना)	27 (सब्सिडी)	21,52,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ बावन लाख मात्र	10,00,50,000 रुपये दस करोड़ पचास हजार मात्र	-10,00,50,000 रुपये दस करोड़ पचास हजार मात्र	11,51,50,000	2023-2024
011	2402001030300 (बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना)	42 (अन्य व्यय)	27,94,00,000 रुपये सतांईस करोड़ चौरानवे लाख मात्र	15,01,69,500 रुपये पंद्रह करोड़ एक लाख उनहत्तर हजार पांच सौ मात्र	-15,01,69,000 रुपये पंद्रह करोड़ एक लाख उनहत्तर हजार मात्र	12,92,31,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रामण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	02 (मजदूरी)	16,00,00,000 रुपये सोलह करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	24,00,00,000	2023-2024
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	09 (विद्युत देय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	61,45,000 रुपये इकसठ लाख पैंतालीस हजार मात्र	2,61,45,000	2023-2024
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	27,99,95,000 रुपये सत्ताईस करोड़ निन्यानवे लाख पंचानवे हजार मात्र	37,99,95,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्यों के निर्धारण न होने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित योजनान्तर्गत धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से न प्राप्त होने के कारण मजदूरी एवं सामग्री सम्पूर्ति मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-386 /2003-02-2024

संख्या: आर ई-<८ > -2023-24, दिनांक- दिसंबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: [illegible] 18:08:37
Reason: Approved
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

I/487856/2024

संख्या: 2649990-12-2099-220-2023 दिनांक- दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियां में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

28/12/2023
Gunjan Dubey
28.12.2023

आज्ञा से
(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।